173 . सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय पदों तथा गैर संगठित पर्यवेक्षकें सहित बोर्ड स्तर से नीचे के पदों हेतु–तारीख 1.1.1997 से वेतनमानों का संशोधन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर संगठित पर्यवेक्षकों, बोर्ड स्तर में नीचे के कार्यपालकों तथा बोर्ड स्तरीय पदों पर कार्यरत कार्यपालकों के वेतनमान का पिछला संशोधन 1.1. 1992 से 5 वर्षो के लिए किया गया था। चूंकि अगला वेतनमान संशोधन 1.1.1997 से देय था सरकार ने आईडीए वेतनमानों को पाने वाले कुल कार्यपालकों के वेतन व भत्ते संशोधित करने की सिफारिश करने हेतु न्यायाधीश एस मोहन, अवकाश प्राप्त उच्चतम न्यायालय न्याायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने निर्णय लिया कि इन बार्ड स्तरीय पदों तथा बार्ड स्तर से निम्न पदों से संबंद्ध वेतनमान तारीख 1.1.1997 से अनुलग्नक–1 में दिए गए अनुसार संशोधित होंगे।

2. उपक्रमों में जहां वेतनमान लोक उद्यम विभाग के उल्लिखित दिशानिर्देशों से भिन्न है या जहाँ वेतन वृद्धि की दरें उपलब्ध दरों से अधिक विगत में अपनाई गई है, उपक्रमों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कुछ मध्यवर्ती वेतनमान लागू करें या दिशानिर्देशों में दिए गए वेतनमानों में परिर्वन को ऐसे करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी एक वेतनमान में उल्लिचात न्यूनमत व अधिकतम सीमा में परिवर्तन न किस जाएं। ऐसे उपक्रम ऐसे परिवर्तन केवल अपने प्रशासनिक मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग की सलाह से ही करेंगे।

3. संशोधन पूर्व वेतनमान में आहरित प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के बदले में संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की मंजूरी/फिटमेंट लाभ तथा फिटमेंट तरीका अनुलग्नक II में दिए अनुसार होगा।

4. जो अपने वेतनमानों में अधिकतम पर पहुँच गए है, उन्हें अधिकतम तीन गतिरोध वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की मंजूरी/फिटमेंट लाभ तथा फिटमेंट तरीका अनुलग्नक II में दिए अनुसार होगा।

5. समिति की सिफारिशों में शामिल इन सभी कर्मचारियों जो आई डी ए वेतनमान में है, के लिए 1 जनवरी, 1997 से 100 प्रतिशत महगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण अपनाया जाए। इन सभी श्रेणीयों के लिए मौजूदा पद्धति के अनुसार, समायोजन की मियाद तीन महीने में एक बार होगा।

संशोधित वेतनमान में इन पदों पर कार्यरत पदधारियों को 1.1.1997 को स्वीकार्य ए आई सी पी आई 1708 पर महगाई भत्ता शून्य होगा क्योंकि तारीख 1.1.1997 की आई डी ए की राशि संशोधित मूल वेतन में विलय पर दी गई है। तारीख 1.1.1997 से महगाई भत्ता इन पदधारियों को नई महगाई भत्ता योजना (अनुलग्नक–III) के अनुसार होगा।

6. बी आई एफ आर को संदर्भित रूग्ण उपक्रमों के बारे में, वेतनमानों का पुनरीक्षण हर हालत में अनुमोदित पुनर्वास पैकेज या बी आई एफ आर द्वारा किए जाने वाले अनुमोदनानुसार तथा इन पैकेजों में वेतन पुनरीक्षण के कारण होने वाले अतिरिक्त व्ययों का प्रावधान करने के बाद होगा।

7. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन वेतनमानों को एक सीमा के रूप में बताते हुए राष्ट्रपति निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि वास्तविक भुगतान उपक्रमों की क्षमता पर निर्भर करेगा। वेतन व मजदूरी के लिए बढ़ी हुई प्रतिबद्धताएँ पूरी करने कि लिए संसाधनों को आंतरिक रूप से उपार्जन किया जाना चाहिए तथा यह उत्पादकता तथा लाभप्रदता के मद में सुधार हुए निष्पादन से आने चाहिए, न कि सरकारी अनुदान से, राष्ट्रपति के निर्देशों में महगाई भत्ता तथा परिलब्धियों की सीमाओं से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के निर्देशों का प्रारूप अनुलग्नक–IV में सुझाया गया है।

8. अगला वेतन पुनरीक्षण 10 वर्ष बाद होगा।

9 (i) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भारत सरकार के द्वारा तथा अधिसूचित शहरों की पुनः–वर्णित सूची के आधार पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय दरों पर होगा। मकान किराया भते दरों तथा शहरों के वर्गीकरण अनुलग्नक V में दिए गये हैं।

9 (ii) पुनरीक्षित वेतन पर किराए की वसूली को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तारीख 1.1.97 से पहले प्रचलित प्रतिशत दरों पर या कंपनी द्वारा निर्धारित मानक किराया के आधार पर गणना की जाएगी।

9(iii) मकान किराया भते पट्टे पर आवास तथा किराया वसूली की गणना पुनरीक्षित वेतन पर की जाएगी किंतु भुगतान या वसूल की जाने वाली राशि की गणना इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि से की जाएगी।

10. पट्टे पर आवास के मामले में सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड कार्यपालकों, जो इस सुविधा के पात्र है के लिए पट्टे पर आवास के उचित स्तर के लिए समीक्षा तथा प्रावधान हेतु लचीला रुख अपनाएगें।

11. इन दिशानिर्देशों के लागू होने की तारीख से मंजूर किया जाने वाले नगर प्रतिकर भते निम्नानुसार है–

मूल वेतन प्रतिमाह	ए–1 जनसंख्या>50 लाख	ए–1 जनसंख्या>50लाख तथा <=50 लाख	बी–1 जनसंख्या>10लाख तथा <=20 लाख	बी–2 जनसंख्या>=5लाख तथा <=10 लाख
4000 रु से नीचे	90	65	45	25
4001–5250रु.	125	95	65	35
5251–6499रु.	200	150	100	65
6500रु. और उससे अधिक	300	240	180	120

12. अन्य परिलब्धियां एवं भत्तों का भुगतान मूल वेतन के अधिकतम 50% तक हो सकता है। 50% की सीमा से अधिक के भुगतान पूर्णतः निष्पादन संबंधित भुगतान के रूप में होना चाहिए जो कि किसी उपक्रम में वितरण योग्य लाभों के 50% से अधिक नही होने चाहिए।

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने सेवानिवृत कर्मचारियो के लिए बीमा कंपनियों के माध्यम से मेडीक्लेम कवर की जाँच करनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियमों में संशोधन दिया जाना चहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का चुनने का निर्णय ले सके या उसके बदले में स्वयं अपनी अंशदायी पेंशन योजनाओं को तैयार कर सकें।

14. रुग्ण उपक्रमों में वी आर एस के निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वेतनमान से वेतन संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

15. प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है की बोर्ड स्तरीय पदधारियों के वेतन जो 1.1.97 को उनके उपक्रमों में नौकरी में थे, उपर्युक्त ढंग से निर्धारित किए जायें तथा उनकी फाइलें जाँच के लिए लोक उधम ब्यूरो को अग्रेषित की जायें जैसा की तारीख 14.2.1989 के बी पी ई (एस एंड ए) क्षेत्र तथा तारीख 6.12.1989 के डी. ओ. पी. टी का का.ज्ञा सं.27(14) ई ओ (89) (ए सी सी) तथा अनुलग्नक VI में दी गयी क्रियाविधि के अनुसार अपेक्षित है।

16. सार्वजनिक क्षेत्र को जारी किए गये निर्देशों की प्रति लोक उधम विभाग को भी पृष्ठांकित किया जाए।

अनुबंध–I

सार्वजनिक क्षेत्र ए उपक्रमों के कार्यपालकों के लिए वेतनमान

अनूसुची	वर्तमान वेतनमान (रू.) तारीख 1.1.1992 से	प्रस्तावित वेतनमान रू. तारीख 1.1.1997 से
''क''	13000—500—15000	27750—750—31500
'ख''	12000—400—14000	25750—650—30950
''ग''	10000—400—12000	22500—600—27300
''घ''	9000—300—10500	20500—500—25000

बोर्ड स्तर से नीचे

अनूसुची	वर्तमान वेतनमान (रू.) तारीख 1.1.1992 से	प्रस्तावित वेतनमान रू. तारीख 1.1.1997 से
''ई–0''	3500—150—6200	—6550—200—11350
''ई–1''	4000—175—7150	8600—250—14600
''ई–2''	4800—200—5800—225—8275	10750—300—16750
''ई–3''	5400—225—6300—250—9050	13000—350—18250
''ई–4''	6500—250—7500—275—9425	14500—350—18700
''ई–5''	7000—275—8100—300—9600	16000—400—20800
''ई–6''	7500—300—9900	17500—400—22300
''ई–7क''	8050—300—10500	18500—450—23900
''ई–7ख'	8500—300—10300	18500—450—23900
''ई–8''	9500—400—11500	20500—500—26500
''ई–9''	11500—400—13500	23750—600—28550

गैर संगठित पर्यवेक्षक वेतनमान

एस–1	2800—90—3430—100—4830	5200—140—8000
एस–2	3000—105—3735—110—5055	5600—150—8600
एस–3	3200—1103970—120—5290	6000—160—9200
एस–4	3375—120—4335—140—5875	6400—180—10000

अनुबंध–II

फिटमेंट तरीका

क		ख		ग		घ
3112.96 को मूल वेतन तथा* 1.1.92 का वैयक्तिक वेतन	+	1.1.97 को 1708 ए आई सी पी आई (आधार 1960—100) पर समतुल्य महंगाई भत्ता	+	'क' के 70% तक	=	समस्त राशि #

* 1992 के कार्यपालक वेतन संशोधन पर तारीख 19.7.95 को लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप वैयक्तिक वेतन।

नए मूल वेतन का निर्धारण संशोधित वेतन मान के कॉलम ''घ'' में कुल राशि को रखने पर किया जाएगा। जहाँ कॉलम ''घ'' के इस प्रकार प्राप्त कुल रकम संशोधित वेतनमान की किसी अवस्था में उपयुक्त नहीं बैठती तो नये मूल वेतन का निर्धारण संशोधित वेतनमान को अगली अवस्था में कुल राशि का निर्धारित करके किया जाएगा।

***

अनुबंध–III

सार्वजनिक क्षेत्र महंगाई भत्ता योजना

मुख्य विशेषताएंः

(क) 1960=100 (ए आई सी पी आई पर आधारित औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग मूल्य वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष में चार बार अर्थात् पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर को जारी की जाएगी।

(ग) महंगाई भत्ते पर भुगतान तिमाही औसत सूचकांक 1708, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है, के ऊपर ए आई सी पी आई में वृद्धि होने पर दिया जाएगा।

(घ) फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर को समाप्त अवधि के लिए सूचकांक 1708 पर ए आई सी पी आई की तिमाही औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि को एक दशमलव बिंदु तक लिया जाएगा।

(ङ) औसत सूचकांक 1708 पर मूल वेतन से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की दर भिन्नांक का अग्रेनीत करते हुए पूर्णांकों में है।

(च) विभिन्न वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन 100% होगा।

पाद टिप्पणी–I

तिमाही औसत की गणना निम्न प्रकार से की जाएगीः–

तिमाही औसत	**से देय**
सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर	पहली जनवरी
दिसंबर, जनवरी और फरवरी	पहली अप्रैल
मार्च, अप्रैल और मई	पहली जुलाई
जून, जुलाई और अगस्त	पहली अक्टूबर

पाद टिप्पणी–II

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1991 माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1708 निकाला गया था तथा आई डी ए योजनानांतर्गत महंगाई भत्ते की तारीख 1.1.97 से स्वीकार्य दरों पर मूल वेतन में विक्रय किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए फार्मूले के तहत स्वीकार्य महंगाई भत्ता तारीख 1.1.97 से शून्य होगा। महंगाई भत्ते की पहली किस्त 1.4.1997 से देय होगी।

अनुलग्नक–IV

बोर्ड स्तरीय तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतन संशोधन तथा अन्य हितलाभों हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए जाने वाले ड्राफ्ट दिशानिर्देश।

———

बोर्ड स्तरीय पदधरियों तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों का पिछला संशोधन सरकार ने 1.1.1992 से दिया था। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इन कार्यपालकों के लिए वेतन संशोधन तथा अन्य हितलाभ राष्ट्रपति के निर्देशों के माध्यम से तारीख 1.1.97 से लागू किए जाएं।

2. ————————————————— अधिनियम की धारा देय ————————————— संस्था की अन्तर्नियमावली के अन्तर्नियम ————————————————————————— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम (राष्ट्रपति————————————————————————— सा. क्षे.उ. का नाम) को निदेश देते हैं कि बोर्ड स्तरीय तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए अनुमोदित वेतनमान फिटमेंट फार्मूला महंगाई भत्ता दिशानिर्देश तथा अन्य परिलब्धियों की सीमाएं तारीख 1.1.1997 से लागू की जाएं।

---

* जो लागू न हो उसे काट लें।

****

अनुलग्नक–V

शहरों/नगरों का वर्गीकरण	**मकान किराया भत्ते की दरें**
ए–1	**मूलवेतन का 15%**
ए, बी–1, व बी–2, सी	**मूल वेतन का 7.5%**
अवर्गीकृत	**मूलवेतन का 5%**

ऐसे नगरों की सूची केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है

ए–1	ए	बी–1	बी–2	दी
1	2	3	4	5
	आंध्रप्रदेश			
	हैदराबाद		विशाखापत्तम (यूए), विजयवाड़ा (यूए)	श्रीकाकुलम, विजियनगरम, अंकापल्ली, काकीनाड़ा, (यू.ए), राजमुंद्री (यूए), नरसापुर, पालकोले, टेडपल्लीगुडम, तनुकु, एलूरू, भीमावरम, गुडीवाड़ा, मछलीपट्टनम, बपतला, चिलकलूरपेट, नरसरौपेट, पोन्नूरू, तेनाली मंगलागिरि, आंगोले (यूए), चिराला (यूए), गुडूर, कवाली, नेल्लूर, मदनापल्लै, श्रीकैलाशशास्ती, तिरूपति (यूए), चितूर, कुडप्पा (यूए), प्रोद्ययातुर, धर्मावरम, कदिरी, तड़ीपत्री, अनंतपुर, गुंतकल, हिंदुपुर येम्मिगनुर, कुर्नूल (यूए), अदोनी, नान्दयाल, महबूबनगर, सिद्धिपेठ, बोधन, निजामाबाद, आदिलाबाद, बेल्लामपल्लै, कागजनगर, मंचेरियाल, निरमल, नगतियाल, सीर्चिल्ला, करीमनगर, रामगुंडम, पलवंछा खम्माम (यूए), सूर्यापेट, मिर्यालगुड़ा, नलगोंडा, कोथगुडेम, नलगोंडा, गुण्टूर, वारंगल (यू ए)

	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
				पोर्ट ब्लेयर
	असम			
			गुवाहटी शहर	ध्रुबी, तेजपुर, जोरहाट (यू ए) नागांव, डिब्रूगढ़ (यू ए), तिनसुखिया, सिल्चर, करीमगंज
	बिहार			
			रांची (यू ए) पटना (यू ए)	मोकाम, बिहार, बक्सर, आरा, देहरी, सासाराम, जहानाबाद, नवादा, गया (यू ए) छपरा, बेतिया, बगहा, मोतिहारी (यू ए), मुज्जफरपुर, सिवान, हाजीपुर, बरौनी, बेगुसराय (यू ए), दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया (यू ए), देवधर (यू ए), धनबाद, (यू ए) गिरिडीह, पुणे (यू ए), झुमरीतलैया, महारीबाग, रामगढ़ (यू ए), सौंदा, डाल्टनगंज, चौबासा, आदित्यपुर, किशनगंज, बोकारो स्टील सिटि (यू ए), जमशेदपुर (यू ए)
	चंडीगढ़			
			चंडीगढ़ (यू ए)	
	दिल्ली			
दिल्ली (यू ए)				
	गोवा			
				मडगांव (यू ए), मर्मगांव (यू ए)
	गुजरात			
	अहमदाबाद (यू ए)	सूरत (यू ए) वडोदरा (यू ए)	राजकोट	जामनगर (यू ए), उपलेटा, गोंडल् (यू ए), धोराजी (यू ए), जेटपुर (यू ए), मोरवी (यू ए), धरंगधरा, सुरेन्द्रनगर, बोटाड, महुवा (यू ए), अमरेली (यू ए), वेरावल, केशोड, जूनागढ़ (यू ए), अंजर, पोरबंदर (यू ए), गांधीधाम, भुज (यू ए), दीसा (यू ए), पालनपुर (यू ए), हिम्मतनगर, उनिझा, सिद्धपुर (यू ए), विसनगर (यू ए), कलोल (यूए), महसाणा (यू ए), विरमगांव, खंभाट (यूए), नाडयाड (यू ए), आणंद (यू ए), दोहड (यू ए), गोधरा (यू ए), दभोल, अंकलेश्वर (यू ए), भडौंच (यू ए), नवसारी वलसाड़ (यू ए), गांधीनगर, पाटण (यू ए), मेहसाणा जिले के अधीन), पेटलाड, भावनगर (यू ए), सावरकुंडला (यू ए)
	हरियाणा			
			फरीदाबाद कांप्लेक्स	पंचकूला शहरी संपदा, अंबाला (यू ए), यमुनानगर (यू ए), बहादुरगढ़ (यू ए), थानेसर, कैथल, करनाल (यू ए), रोहतक, पलवल गुड़गांव (यू ए), रिवाड़ी, नारनौल, भिवानी, जींद, हांसी हिस्सा (यू ए), सिरसा
	हिमाचल प्रदेश			
				शिमला (यू ए)

	कर्नाटक			
	बेंगलूर (यूए)		हुबली धारवाड	चन्नापटनम, डोडाबल्लापुर, रामनगरम, गोकाक, निपानी, बेलगाम (यू ए), बेल्लारी, बिदर (यू ए), बागलकोट, रबकवी, बर्णहट्टी, बीजापुर, बीजापुर (यू ए), चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा (यू ए), दावनगिरि (यू ए), मैंगलूर, (यू ए) मैंगलूर, (यू ए) रानीबेन्नूर गदम–बतीगेरी, गलुबर्गा (यू ए), हसन (यू ए), चिंतामणि, कालार गोल्ड फील्ड्स (यू ए), कोलार मांडया, गंगावटी (यू ए) रायचूर (यू ए), भदरावती (यू ए) शिमोगा (यू ए), तुमकुर (यूए), दांडेली, कारवार होस्पेट (यू ए), हरिहर मैसूर (यू ए)
	केरल			
			तिरूवनंतपुरम (यू ए), कोच्चि (यू ए)	कसारगोंड, कान्हागढ़ (यू ए), परूयन्नूर, वडाकरा (यू ए), पोन्नानि, मंजूरी, पलक्कड (यू ए), त्रिचूर, चनगनस्सेरी, कोट्टायम (यू ए), अलप्पुजा (यू ए), थिरूवल्ला, कोल्लम (यू ए), तालिपरम्बा, कन्नूर (यू ए), कयम्कुलम, कोझिकोड (यू ए)
	मध्य प्रदेश			
		इंदौर (यूए) भोपाल	ग्वालियर (यू ए) जबलपुर (यू ए)	मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़ छतरपुर (यू ए), सागर (यू ए), दमोह (यू ए), सतना (यू ए), गुना मंदसौर, नग्दा, रतलाम (यू ए), उज्जैन (यू ए), देवास, धार, खंडवा, बरहनपुर, विदिशा, सीहोर (यू ए), सरनी, बेतूल (यू ए), होशंगाबाद, इटारसी (यू ए), मुरवारा (कटनी), छिंदवाड़ा (यू ए), सिवनी, बालाघाट (यू ए), अम्बिकापुर (यू ए), शिवपुरी, धामतरी, जगदलपुर (यू ए), मऊ (यू ए), खरगौन, दुर्ग, रायगढ़ (यू ए), जौरा (यू ए), राजानंदगांव, नीमच (यू ए), राजहरा, झाड़न दिल्ली, रायपुर (यू ए)
	महाराष्ट्र			
(बृहन) मंबई (यू ए)	पुणे (यू ए), नागपुर (यू ए)		नासिक (यू ए), सोलापुर (यू ए), औरंगाबाद (यू ए)	विरार, नलसोपारा, भिवांडी (यू ए), पनवेल, रत्नागिरी, मनमाड़, मालेगांव, नेन्दूरबार, धुले, चालीसगांव, अमलनेर, भुसावल (यू ए), जलगांव, श्रीरामपुर (यू ए), अहमदनगर (यू ए), सतारा, करद, सांग्ली (यू ए), बाशा, पंढारपुर, इछाल्करणजी (यू ए), जल्ना, हिंगोली, परभणी पर्ली, अम्बे, जोगाय, बीड, नांदेड (यू ए), उस्मानाबाद, उद्रिगर, लातूर, बुल्दाना, मल्कापुर, खामगांव, अकोल, अकोला, अचलपुर, पुसड, यवतमाल (यू ए), हींगनघाट, वर्धा, भंडारा, कैंप्टी (यू ए), गोंडिया, बल्लारपुर (यू ए), चंद्रापुर, कोल्हापुर (यू ए), अमरावती
	मणिपुर			
				इम्फाल (यू ए)

	मेघालय			
				शिलांग (यू ए)
	मिजोरम			
				आइजोल
	नागालैंड			
				कोहिमा, दीमापुर
	उड़ीसा			
				बैरागढ़, ब्रजराजनगर, झारसु–गुड़ा, संबलपुर (यू ए), भद्रक, बालेश्वर (यू ए), बालनगिरि, भवानीपटना, जेयपुर, सुनबेड़ा, ब्रहमेपुर, पुरी, कटक (यू ए), भुवनेश्वर
	पंजाब			
		लुधियाना	अमृतसर, जालंधर	गुरदासपुर, पठानकोट (यूए), बटाला (यू ए), फिरोजपुर छावनी, फाजिल्का, अबोहर, खन्ना, कपूरथला, फगवाड़ा (यू ए), होशियापुर, एस ए एस नगर (मोहाली), राजपुरा, नाभा, पटियाला (यू ए), मलेर कोटला, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, मनसा, भटिंडा, फरीदकोट (यू ए), कोटकपुरा, मुक्तसर, मलौत, मोगा (यू ए)
	पांडिचरी			
				पांडिचेरी (यूए), कराईकाल, आउलगरेट, यानम (यू ए)
	राजस्थान			
		जयपुर (यू ए)	जोधपुर, कोटा	हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बुंडी, झुनझुनु, नवलगढ़, अलवर (यू ए), भरतपुर (यू ए), धौलपुर, हिंडौन, गंगापुर शहर (यू ए), सवाई माधोपुर (यू ए), फतेहपुर, सीकर, किशनगढ़, ब्यौवर (यू ए), मकराना (यू ए), पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चितौड़गढ़ टोंक (यू ए), बरण, बासवाड़ा (यू ए), चुरू (यू ए), बीकानेर, अजमेर
	तमिलनाडु			
	चेन्नै (यू ए)		कोयम्बतूर (यू ए), मदुरै (यू ए), सलेम, त्रिचुरापल्ली	चेंगलपट्टू, कांचीपुरम (यू ए), अरक्कोनम, अम्बूर, तिरूप्पतूर, गुडीयपट्टम (यू ए), वंयमबाडी (यू ए), अदतूर, वेल्लूर (यू ए), किशनागिरि, धर्मपुरी, अरानी, तिरूवन्नामलई, तिंडीवनम, विल्लुपुरम, पंरूति, वृद्धाचलम, चिदम्बर (यू ए), कुड्डलर, नेवेली (यू ए), तिरूचेन्दुड्डु, कुमारपलवर, इरोड ट, उथागमंडलम, मेट्टुप्पलैयम, उदुमलैप्पेट्टै, तिरूप्पूर (यू ए), पोल्लाची (यू ए), पलनी (यू ए), डिंडीगुल, कारूर (यू ए), मैयैलादुथुरै, मन्नर्गुडी, पट्टुक्कोटटै, नगप्पटिट्नम (यू ए), कुमगाकोनम (यू ए), कुमगाकोनम (यू ए), थंजाव्यूर, पुडुक्कोटटै, कराईकुडी, बोडीनायक्कनूर, कमबम, तेनी, अल्लीनगरम, श्रीविल्लीपुट्टूर, विरूदुनगर, अरॅप्पुक्कोटटै, राजपलयम, सिवकासी (यू

				ए), परमाक्कुडी, रामनाथपुरम, कोविलपट्टी, टूटीकोरिन (यू ए), पुलियनगुउ, कडैयनल्लूर टेंकासीस, तिरूनेल्वेली (यू ए), नगेरकोइल मेट्टूर, वालपराई
	त्रिपुरा			
				अगरतला
	उत्तर प्रदेश			
		लखनऊ (यू ए), कानपुर (यू ए)	मेरठ (यू ए), बरेली (यू ए), इलाहाबाद (यू ए), वाराणसी (यू ए), आगरा (यू ए), गोरखपुर	देहरादून (यू ए), काशीपुर रूद्रपुर, हल्दवानी–सह–काठगोदाम, नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, बिजनौर (यू ए), चंदौली संभल नौएडा, अमरोहा, रामपुर देवबंद सहारहनपुर, रूड़की (यू ए), हरिद्वार (यू ए), शामली, कैराना, मुज्जफरनगर (यू ए), बड़ौत, मवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर (यू ए), खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (यू ए), कासगंज,, एटा, मैनपुरी, सहसवान, बदायूं, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहांपुर (यू ए), लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फारूखाबाद–सह–फतेहगढ़, (यू ए), औरैया, इटावा, झांसी (यू ए), ललितपुर, महोबा, बंदा फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़ बेहराइच, बलरामपुर, गोंडा, नवाबगंज, टांडा, फैजाबाद (यू ए), सुलतानपुर, बस्ती, देवरिया, मउनाथ, भंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया गाजीपुर, भदोई, मुगलसराय (यू ए), मिर्जापुर–सह–विंध्याचल, मुरादाबाद (यू ए), गाजियाबाद (यू ए) अलीगढ
	पश्चिम बंगाल			
कोलकाता (यू ए)				रायगंज (यू ए), जलपाईगुड़ी, अलीपुरदौर (यू ए), दार्जलिंग, सिलीगुड़ी, वलूरघाट (यू ए), हावड़ा (यू ए), इंग्लिश बाजार (यू ए), जंगीपुर, ब्रह्मपुर (यू ए), चकदोहा, कृ ष्णानगर, नबाद्वीप (यू ए), सांतीपुर, राणाघाट (यू ए), बनगांव, बसीरहाट, रायपुर (यू ए), कोन्टाई, मेदिनीपुर, हलदिया, खड़गपुर (यू ए), विष्णुपुर, बंकुरा, पुरूलिया, कटवा, आसनसोल (यू ए), रानीगंज (यू ए), वर्धमान, सूरी, भोलपुर, कूचविहार (यू ए),चितरंजन, देवग्राम, दुर्गापुर

– – –

अनुबंध–VI

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आई डी ए पैटर्न पर नए वेतनमानों के अनुमोदन तथा उसे अपनाने के लिए क्रियाविधिः

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98 और 1998–99 से लगातार लाभ कमा रहे हैं, बोर्ड स्तरीय पदों पर कार्यरत तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा

गैर–संगठित पर्यवेक्षकों के लिए वेतनमानों को पूर्णतः इन दिशानिर्देशों के अनुसार अपना सकेंगे।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पिछले तीन वर्षों तथा 1996–97 (99), 1997–98 और 1998–99 के दौरान लाभ नहीं कमा रहे हैं या उन वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान घाटा उठाया है वे भी अपने बोर्ड स्तरीय तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं गैर संगठित पर्यवेक्षकों के लिए सरकार यानी लोक उद्यम विभाग के परामर्श से प्रशासनिक संचालन के अनुमोदन से इन वेतनमानों को अपना सकेंगे, बशर्ते कि वे इसका आकलन दे कि इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को कैसे जुटाएंगे।

(ग) बी आई एफ आर के संदर्भित उपक्रमों के संबंध में आई डी ए पैटर्न को अपनाने वाले सभी कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन बी आई एफ आर द्वारा पूर्णतः अनुमोदित या किए जाने वाले अनुमोदित पुनरूद्वार पैकेजों के अनुसार तथा इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने के बाद होगा।

(घ) निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों बोर्ड स्तर से नीचे के तथा गैर संगठित पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान तथा डी ए पैटर्न को अपनाने के लिए अपने प्रस्ताव अपने प्रशासनिक मंत्रालय को लोक उद्यम विभाग के परामर्श से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वे वाणिज्यिक उत्पादन, पर जाने की संभावित तारीख आदि का ब्यौरा देंगे।

(ङ) लोक उद्यम विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 2(11) 96–लो.उ.नि.(डब्ल्यूसी) तारीख 14.01.99 में गैर–संगठित कामगारों की 6वीं मजदूरी वार्ता के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त वेतन संशोधन पर लागू होंगी।

(च) लोक उद्यम विभाग नोट में लिए गए किसी मामले में जहां भी जरूरत होगी विस्तृत निर्देश जारी करेगी।

(लो0 उ0 वि0 का तारीख 25 जून, 1999 कार्यालय ज्ञापन सं. 2(49)98–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी)